

प्रेषक,

कामता प्रसाद,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक  
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ०प्र०  
लखनऊ।

सैनिक कल्याण अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 15 जून, 2018

विषय : वर्ष 1986 के पूर्व के वीर चक्र श्रृंखला व सेना मेडल, मेन्शन-इन-डिस्पैच के वीरता पुरस्कार विजेताओं को एकमुश्त धनराशि एवं वार्षिकी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले जल, थल एवं वायु सेना के ऐसे सैनिकों जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा युद्ध क्षेत्र में वीरता प्रदर्शित करने के फलस्वरूप परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल (वीरता), मेन्शन-इन-डिस्पैच से वर्ष 1986 से पूर्व विभूषित किया गया है, को राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित दरों पर नकद पुरस्कार दिये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है :-


क्रम सं०	पदक का नाम	एक मुश्त	वार्षिकी
1	परमवीर चक्र	32,50,000	1,95,000
2	महावीर चक्र	19,50,000	1,48,200
3	वीर चक्र	13,00,000	85,800
4	सेना/नौ सेना/वायु सेना मेडल(वीरता)	39,000	6,240
5	मेन्शन-इन- डिस्पैच	32,500	3,900

2. उपर्युक्त पुरस्कारों के लिये एकमुश्त एवं वार्षिकी की उक्त दरें इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. उपर्युक्त स्वीकृत नकद अनुदान पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2075-विविध सामान्य सेवायें-104-विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार-04-वीर चक्र श्रृंखला (परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र) के विजेताओं को राज्य सरकार का एकमुश्त नकद पुरस्कार/अनुदान-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं लेखाशीर्षक 2075-विविध सामान्य सेवायें-104-विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार-05-बार-टू-सेना मेडल(सेना मेडल (वीरता), मेन्शन-इन-डिस्पैच) के पुरस्कार प्राप्त उ०प्र० के सैनिकों को एकमुश्त नकद पुरस्कार-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-4-38/दस-2018 दिनांक 22.05.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,



( कामता प्रसाद )  
उप सचिव।